न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 83 / 2018

उनवान

1. सांवरा पुत्र नज्जा जाति मेहरात निवासी भीमपुरा

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रामा पुत्र काना
2. मुन्ना पुत्र रहीमा
3. जमीला पुत्री रहीमा (तर्क)
4. रशीदा पुत्री रहीमा (तर्क)
5. नैना पुत्री हरजी (तर्क)
6. फरीदा पुत्री हरजी (तर्क) जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–19.2.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम भीमपुरा में वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी / सहकाश्तकारी की आराजियात स्थित है। जिसके खाता संख्या 514 / 504 किता 17 रकबा 1.95 है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकॉर्ड में वादी सांवरा पुत्र नज्जा के स्थान पर समदा पुत्र नजा अंकित कर दिया है जबकि खाता संख्या 539 / 531 एवं 426 / 435 में वादी का विधिवत नाम अंकित किया गया है उपरोक्त त्रुटि दौराने बंदोबस्त हुई है जिसको दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम अधिकार अभिलेख में सांवरा पुत्र नज्जा अंकित किया जावे। परिवार राशन कार्ड एपीएल नम्बर 184 में वादी का विधिवत नाम सांवरा पुत्र नज्जा एवं आधार कार्ड में भी सांवरा पुत्र नज्जा है एवं फोटो पहचान पत्र में भी सांवरा पुत्र नज्जा है। वादग्रस्त आराजियात के पुश्तैनी खातेदार / मालिक है। अतः अधिकार अभिलेख में वादी का नाम विधिवत नाम सांवरा पुत्र नज्जा अंकित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं उपस्थित होकर जाहिर किया की वाद स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का नाम वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 7 राज0 पेरोकार ने जाहिर किया वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करें।

प्रकरण में वाद के समर्थन में जवाब प्रेषित नहीं होने व वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी संवत 2072–75, पहचान पत्र, राशन कार्ड,आधार कार्ड, दस्तावेज प्रस्तुत किये।
वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा खाता संख्या 514/504 किंता 17 रकबा 1.95 की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादी का नाम समदा पुत्र नजा दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में वादी की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने अपने वादपत्र में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात के अधिकार अभिलेख में सावंरा पुत्र नज्जा के स्थान पर समदा पुत्र नजा अंकित कर दिया गया है। जबकि खाता संख्या 539/531 एवं 426/435 में वादी का विधिवत नाम अंकित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबन्दी संवत 2072–75 से स्पष्ट है कि वादी का नाम समदा पुत्र नजा अंकित किया हुआ है जबकि खाता संख्या 539/531 एवं 426/435 में वादी का नाम सांवरा पुत्र नज्जा अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र संख्या बीएलवी/0990879 ,परिवार राशन कार्ड संख्या 00035, आधार कार्ड संख्या 487971757736 में भी वादी का नाम सावंरा पुत्र नज्जा अंकित है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है कि वादी के दस्तावेजों में वादी का नाम सांवरा पुत्र नजा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद में सहमती जाहिर की है वादी का नाम दुरूस्त करने से शेष सहखातेदारों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। पत्रावली में वाद के तथ्यों हेतु कोई खण्डन नहीं है। अतः वादी अपना नाम दुरूस्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम भीमपुरा के खाता संख्या 514/504 किंता 17 रकबा 1.95 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद राजस्व अभिलेख में वादी का नाम समदा पुत्र नजा के स्थान पर सावंरा पुत्र नजा किया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

धमेन्द्र कुमार बनाम सूरजमल

दावा बाबत :— 53, 88, 188, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —83 / 18
पेश करने की दिनांक — 2.7.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई राज पेरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

भीमपुरा के खाता संख्या 514 / 504 किंता 17 रकबा 1.95 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद राजस्व अभिलेख में वादी का नाम समदा पुत्र नजा के स्थान पर सावंरा पुत्र नजा किया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअस्तु दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 02 सन् 2019 को जारी की गयी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला—अजमेर)

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner